न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 174 /2021

वादी :–

1) लुम्बा राम पुत्र गुमनाराम

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) गुमाना पुत्र रूपा
2) अम्बाराम पुत्र जीवाराम
3) छोगाराम पुत्र गुमना
4) गोकलाराम पुत्र नैनाराम
5) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री लुम्बाराम स्वंय वादी।
2. श्री गुमाना प्रतिवादीगण
3) अम्बाराम
4) छोगाराम
5) गोकलाराम
6) तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 23/12/2021

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 32 रकबा 174–08 बीघा सरहद मौजा डूडरी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम निम्बा होने से राजस्व रेकर्ड में निम्बा पुत्र गुमना दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम [illegible] दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने अन्य [illegible] का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना [illegible] रेकर्ड मे अंकित गलत नाम इन्द्राज निम्बा के स्थान पर लुम्बाराम पुत्र गुमनाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDC) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......निंबा पुत्र लुम्बा......... के स्थान पर ......लूम्बाराम पुत्र मुल्लाराम .... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......उप तहसीलदार दूदवा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ......32...... रकबा ......174-08...... बीघा, सरहद मौजा ......कुडी...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......निंबा...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समदडी~~ आकडली बामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......निंबा...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......लूम्बाराम पुत्र मुल्लाराम...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ......32...... रकबा ......174-08...... बीघा, सरहद मौजा ......कुडी......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......निंबा...... पुत्र ......लुम्बा...... के स्थान पर ......लूम्बाराम...... पुत्र ......मुल्लाराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......23/10/2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट......आकडली बामसीन...... मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1) लुम्बाराम s/o गुमनाराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1) गुलेहम पुत्र ..... 2) जोगाराम पुत्र जीवाराम 3) .... पुत्र गुमना 4) .... पुत्र .... 5) राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 174 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री लुम्बाराम ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री नरेश सोनी .... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....32........ रकबा ....174–08........ बीघा, सरहद मौजा गुगडी ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....निंबा........ पुत्र गुमनाराम ~~लुम्बाराम~~ ...... के स्थान पर ....लुम्बाराम........ पुत्र गुमनाराम ....खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....23/10/2021.... को जारी की गई।

(एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महतावा		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट आकड़ली कल्याणपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1) लुम्बाराम S/o गुमनाराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1) गुलेशन पुत्र खरथा 2) जोगाराम पुत्र जीवाराम 3) छोगा पुत्र गुमना 4) गोकलराम पुत्र नाजाराम 5) राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 174/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री लुम्बाराम वादी स्वंय मिनजानिब श्री नरेश सोनी पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं 32 रकबा 174-08 बीघा, सरहद मौजा गुड़ी

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम निंबा पुत्र ~~लुम्बाराम~~ गुमनाराम के स्थान पर लुम्बाराम पुत्र गुमनाराम खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/10/2021 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प जवाबदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		